राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5413/2004

हंस राज ओझा

----अपीलार्थी

बनाम

राज्य और अन्य

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री हेमंत दत्त

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री सरवन कुमार, एजीसी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

22/05/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 30.11.2004 के आदेश (अनुलग्नक 3) से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत उसे एलडीसी के पद से चतुर्थ श्रेणी के पद पर वापस लाने की मांग की गई थी।

2. संक्षेप में, मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को 09.12.1994 को दैनिक आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया गया था और बाद में उसे नियमित कर्मचारी बना दिया गया था। दिनांक 17.09.2003 के आदेश (अनुलग्नक 2) के तहत उसे एलडीसी के पद पर पदोन्नत किया गया था। इसके बाद दिनांक 30.11.2004 के आदेश (अनुलग्नक 3) के तहत याचिकाकर्ता को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर वापस लाने की मांग की गई थी। इसलिए यह याचिका।

3. जवाब में बचाव पक्ष ने कहा कि याचिकाकर्ता को एलडीसी के पद पर दी गई पदोन्नति अनियमित और अवैध थी, क्योंकि विभाग के पास एलडीसी का कोई पद उपलब्ध नहीं था और याचिकाकर्ता को गलत तरीके से पदोन्नति दी गई थी। इन

परिस्थितियों में, वापसी का आदेश पूरी तरह से कानूनी और वैध था और इसलिए, प्रतिवादियों को यहां पर आक्षेपित आदेश पारित करने का औचित्य है। इसलिए याचिका खारिज की जानी चाहिए।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और केस फाइल का अध्ययन किया है।

5. यहां पर निर्णय के लिए जो बात उभर कर आती है, वह बहुत ही संक्षिप्त विवाद है, यानी क्या याचिकाकर्ता 01.04.2003 को प्रश्नगत पद पर एलडीसी के रूप में पदोन्नत होने का हकदार था और यदि हां, तो क्या दिनांक 30.11.20024 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक 3) संधारणीय है या नहीं?

6. वास्तव में उपरोक्त प्रश्न का उत्तर समय बीतने के साथ पूरी तरह से शैक्षणिक और निरर्थक हो गया है क्योंकि यह पता चला है कि याचिकाकर्ता को 17.09.2003 को एलडीसी के पद पर नियमित पदोन्नति दी गई थी (अनुलग्नक 2)। इतना ही नहीं, बाद में उन्हें 01.03.2019 के आदेश के तहत यूडीसी के रूप में पदोन्नति दी गई और उसके बाद 07.07.2023 के आदेश के तहत सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पदोन्नति दी गई, जिस पद पर वे वर्तमान में कार्यरत हैं।

7. याचिकाकर्ता के बाद के सेवा रिकॉर्ड और प्रतिवादियों के स्वयं के सकारात्मक आचरण को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादियों ने स्वयं याचिकाकर्ता को एलडीसी के पद से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर वापस भेजकर उनके कृत्य को नजरअंदाज करने और माफ करने का फैसला किया है और इसलिए, ऐसी परिस्थिति में, इस विलंबित चरण में इस पद पर वापस भेजने पर अनावश्यक रूप से निर्णय लेने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, जिसे इस समय चुनौती दी गई है।

8. इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता इस मामले में आकस्मिक परिस्थितियों का लाभार्थी रहा है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.12.2004 के आदेश के अनुसार अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था, जिसके अनुसार उसके प्रत्यावर्तन पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन मुकदमे में न्यायालय के आदेशों का परिणाम और केवल इसलिए कि वर्तमान कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता के प्रत्यावर्तन पर रोक लगा दी गई थी, उसके कारण उसे पहले से प्राप्त लाभों को वापस लेने का कोई कारण नहीं है। इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को दिए गए अंतरिम संरक्षण के लाभ जारी रहेंगे और उन्हें केवल इसलिए वापस नहीं लिया जाएगा क्योंकि इस विवाद को समय बीतने के कारण निष्फल कर दिया गया है।

9. इन टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

10. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।